

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-1A, वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861. E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रसा-डी-तीन-8003/ 684

दिनांक: 2/6/2017

सेवा में

वन संरक्षक, उत्तरी परिमण्डल,
अम्बाला ।

विषय: Diversion of 1.233 ha. of forest land for laying of OFC by M/s Reliance Jio Infocomm Ltd. along Ambala-Jagadhari road, Industrial Area Ambala Cantt. km. 42 U/size to Dhanouri via Saha, Kalpi, Nahoni, Gokulgarh, Khara, Ramgarh, Ramgarh Mulana, Dhanoura, Dhanouri, under forest division and District Ambala, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Others/21653/2016

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 301 दिनांक 29-5-2017 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भित पत्र का अवलोकन करे जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670-व-2-2016/8430 दिनांक 6-5-2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयवस्तु उद्देश्य हेतु 1.233 हेक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी ।
2. इस फंस में कोई वृक्ष नहीं काटा जाएगा ।
3. प्रयोक्ता एजेंसी स्थानीय अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत राज्य सरकार के वन विभाग से वन संरक्षण तथा पोषारोपण के हित में राज्य वन विभाग की किसी भी शर्तों की पालना करेगी ।
4. यह ओओएफसी वन भूमि के सबसे बाहरी किनारे के साथ बिछाई जाएगी और खोदी गई जमीन प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पुनः स्थापित की जाएगी ।
5. प्रयोक्ता एजेंसी किसी भी प्रकार की वन सम्पदा/पर्यावरण को होने वाली हानि की भरपाई करेगी ।
6. प्रयोक्ता एजेंसी किसी भी प्रकार के रख-रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।
7. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
8. यह कार्य इस स्वीकृति पत्र के जारी होने के एक वर्ष के भीतर पूर्ण करना होगा ।
9. यह स्वीकृति अन्य सम्बन्धित अनुच्छेदों/नियमों/न्यायालय आदेशों/अनुदेशों आदि के अधीन प्रस्ताव की अनुमति पर निर्भर करती है जैसा कि इस प्रस्ताव पर लागू है ।
10. खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
11. यह स्वीकृति राष्ट्रीय उद्यान व वन्य प्राणी विहार क्षेत्रों में लागू नहीं होगी ।
12. इस स्वीकृति को किसी भी समय स्थगित/रद्द किया जा सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है ।

Ashok Kumar
6/6/17
247
06/06/17

P. CA
6/6/17

वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (एफओसीओ)
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा
पंचकुला । 7/6/17

प्रतिलिपि -

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केंद्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बेल नं० 24-25, सेक्टर-31-ए, पंचकुला ।
2. वन मण्डल अधिकारी, अम्बाला ।
3. M/s Reliance Jio Infocomm Ltd., Mohali.